

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4108 /

जबलपुर, दिनांक 02/07/2019

II-13-03/09 Pt-II

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल
क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 के आलोक में
श्री मदनलाल दवे, सेवानिवृत्त जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को
दिनांक 31/03/2019 से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को पात्रतानुसार
212 दिन के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती
है।

सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/4109 /

जबलपुर, दिनांक 02/07/2019

II-13-03/09 Pt-II

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके
ज्ञापन क्रमांक/1075/लेखा/2019 इंदौर, दिनांक 01/06/19 के संदर्भ में
श्री मदनलाल दवे, सेवानिवृत्त जमादार का गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः
वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने
का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च
न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)
28-6-19
